

13-12-2014

प्रकरण आज दिनांक को राष्ट्रीय वृहद लोक अदालत में सुनवाई में लिया गया।

राज्य द्वारा ए.डी.पी.ओ. श्री अनिल माहोरे।

आरोपीगण सहित श्री विशेष चैतगुरु अधिवक्ता उपस्थित।

फरियादी/आहत फगुलाल स्वयं उपस्थित।

प्रकरण में उभयपक्ष की ओर से राजीनामा कर प्रकरण समाप्त करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की ओर से प्रारूपित आवेदन पत्र के साथ राजीनामा डाकेट लिखित व स्वयं के हस्ताक्षर करके प्रस्तुत किया गया। उभयपक्ष ने स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दबाव के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है। फरियादी/आहत की पहचान अधिवक्ता श्री विशेष चैतगुरु के द्वारा की गई।

आरोपीगण के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो के अंतर्गत अपराध अभियोजित है, जो कि शमनीय अपराध है। आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का प्रमाण नहीं है। अपराध शमन किए जाने में कोई विधिक बाधा होना प्रकट नहीं होता है। अतएव उभयपक्ष की ओर से राजीनामा स्वीकार किया जाता है। परिणाम स्वरूप आरोपीगण झनकलाल, राजूलाल को भारतीय दंड संहिता की धारा-294, 323/34, 506 भाग-दो के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति मूल्यहीन होने से विधिवत् नष्ट की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज किया जाकर प्रकरण अभिलेखागार में जमा किया जाये।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर

सदस्य

सदस्य